प्रेस नोट 30.10.2021

चोरी की एक मोटरसाइकिल, 06 मोबाइलफोन व अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गैगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त सहित कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में दिनांक 29.10.2021 को थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सलाहाबाद मोड़ से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 345/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त लक्ष्मण पासवान पुत्र नखडू पासवान निवासी सुल्तानपुर छोटी बकवल थाना सरायलखंसी जनपद मऊ सहित दो अन्य अपचारी किशोर के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे यूपी 61 एबी 4517 तथा चोरी की 06 अदद मोबाइल फोन व उक्त अभियुक्त लक्ष्मण पासवान के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामद मोटरसाइकिल व मोबाइलफोन के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 427/21 धारा 41,411,420 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 428/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

शांति भंग की आशंका में 12 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.10.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा अनिल राम, बसंत लाल, मिन्टू, राजपति निवासीगण सेमरीजमालपुर थाना घोसी, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सतीष कुमार, किशन मद्धेशिया, प्रमोद निवासीगण भीटी थाना कोतवाली, जितेन्द्र राम निवासी बेलरी जनपद गाजीपुर, हेमन्त चौहान निवासी रसूलपुर थाना दोहरीघाट, थाना मधुबन पुलिस द्वारा अरविन्द सिंह, पिन्टू यादव, मनोज कुमार निवासीगण सिकडीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।